<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>अपील/डिक्री/टी.ए./5215/2005/हनुमानगढ</u>

1. हनुमान पुत्र पुरखाराम फौत जरिये कायम मुकाम–

1/1.रामप्यारी पत्नी हनुमान

1/2. चन्द्रावली पुत्री हनुमान

1/3.खेताराम पुत्र हनुमान

1/4. विद्या पुत्री हनुमान

1/5.दुली चन्द पुत्र हनुमान

1/6. बुधवती देवी पुत्री हनुमान

2. लाल चन्द 3. ठाकर राम 4. हेतराम पुत्रगण कुम्भाराम जाति बावरी निवासी पक्का सारनान हाल चक–33 एम एस के तहसील व जिला हनुमानगढ

अपीलान्ट

बनाम

1. चन्द्रमुखी पत्नी सुल्तान जाति बावरी निवासी बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ जिला गंगानगर
2. जमुना पुत्री गिरधारी 3. पदमा पत्नी नारायण
4. चनकोरी पत्नी भगवाना जाति बावरी निवासी चक–9के. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

5. मनीराम 6.सहीराम 7.शान्ति 8 रामलाल 9.रेशमा देवी 10.गोगा 11. परमेश्वरी 12. मीरा पुत्र एवं पुत्रियां फूसराम जाति बावरी निवासी एल एस एम बाण्डा कालोनी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

13. तहसीलदार हनुमानगढ

रेस्पोडेन्ट

खण्ड पीठ
श्री मोडू दान देथा सदस्य
श्री सतीश चन्द्र गोदारा सदस्य

उपस्थित
श्री मनीश पाण्डया अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ओ.पी.मोदी अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः5.9.2019

1. यह अपील राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 15–10–2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के समक्ष अपीलार्थीगण ने प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद अधिनियम की धारा 88, 188 के तहत वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को तलब किया। प्रतिवादी की ओर से जबाब दावा मय काउण्टर क्लेम पेश किया। दावा एवं जबाब दावा तथा काउण्टर क्लेम के आधार पर विचारण न्यायालय ने कुल नौ तनकीयात कायम की और बाद सुनवाई अपने निर्णय दिनांक 17–8–2004 के द्वारा वादीगण का वाद खारिज करते हुये प्रतिवादीगण का काउण्टर क्लेम स्वीकार कर 10 बीघा भूमि से वादी को बेदखल कर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1व2 को दिलाने के आदेश पारित किये तथा शेष 10 बीघा भूमि जो रिसीवर के कब्जे में है,उसका कब्जा प्रतिवादी संख्या 1व3 को देने तथा रिसीवर की राशि का भुगतान प्रतिवादी संख्या 1व3 को करने के आदेश पारित

किये। इससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में अपील पेश की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–10–2005 के द्वारा अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि प्रतिवादी संख्या 1 चुनकी एवं प्रतिवादी संख्या 3 शेरा जो कि दोनों ही फौत हो चुके हैं,दोनों ने अपना अपना जबाब दावा प्रस्तुत किया था जिसमें काउण्टर क्लेम का भी कथन किया था,का यह कथन था कि गणेशाराम उनके नाना थे एवं किशनी देवी उनकी नानी थी गणेशाराम का देहान्त दिनांक 19–10–59 को व किशनी देवी का देहान्त दिनांक 1–8–63 को होने का कथन किया तथा गणेशाराम एवं किशनी की पुत्री नानू देवी उनकी माता थी जिसका देहान्त दिनांक 5–11–59 को होना बताया एवं प्रतिवाद पत्रों के चरण संख्या 10 में दिनांक 9–11–55 को होना बताया है किन्तु ऐसी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। जबकि वास्तविकता यह है कि गणेशाराम के कोई सन्तान नहीं थी तथा उनकी पुत्री नानू देवी की मृत्यु गणेशाराम के जीवनकाल में ही हो चुकी थी। उसके पश्चात नानू देवी जिस व्यक्ति की विवाहिता थी उस व्यक्ति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया एवं उसके जो सन्तान हुई एवं उनके जो सन्तान हुई वह वर्तमान में चुनकी शेरा बनकर वादीगण के अधिकार एवं भौतिक धारण में हस्तक्षेप करने लगी तो वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। ऐसी स्थिति में दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने दायित्व निभाने में त्रुटि की है। ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे वह गणेशाराम की उत्तराधिकारी सिद्ध हो। वादीगण का

वाद मात्र घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का है जिसका आधार था कि जो भूमि गणेशाराम द्वारा छोडी गई थी वह आवंटित भूमि थी तथा गणेशाराम के जीवनकाल में उसकी किश्तें नहीं भरी थी सारी किश्तें वादी हनुमान एवं वादी संख्या 2से6 के पिता पति कुम्भाराम द्वारा अपनी संयुक्त कमाई से राजकोष में जमा कराई थी तदुपरान्त ही समस्त खातेदारी अधिकार आदि प्राप्त हुये। स्व.गणेशाराम निःसन्तान मृत्यु को प्राप्त हुये हैं। जैसा कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में दी गई वंशावली में दर्शाया गया है तथापि स्वयं की माता नानू देवी की मृत्यु के सम्बन्ध में जो तिथी बताई गई है वह एक स्थान पर 5–11–59 है एवं एक स्थान पर 9–11–55 है एवं किसी प्रलेख से पुष्ट नहीं है। अतः यह तथ्य स्वीकार किये जाने येाग्य नहीं है कि मृतक चुनकी एवं शेरा नानू देवी की पुत्रियां थी। जब यह तथ्य स्पष्ट नहीं हुआ है तो उन्हे प्रतिवादा प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर वादीगण का वाद स्वीकार किया जावे।

5. जबाब में प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि विचारण न्यायालय के समक्ष चुनकी व शेरा ने घोषणा व बेदखली हेतु काउण्टर क्लेम पेश किया था। गणेशाराम का देहान्त दिनांक 15–10–59 को व उनकी पत्नी किशनी का देहान्त दिनांक 1–8–63 को हो गया था। गणेशाराम की एकमात्र वारिस पुत्री नानू देवी थी व नानू देवी का देहान्त गणेश व किशनी के जीवनकाल में ही हो गया था। जिसकी दो पुत्रियां मृतक चुनकी व शेरा थी। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गणेशाराम की जायज वारिस हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी हनुमान ने दिनांक 7–6–85 को राजीनामा प्रस्तुत किया है व मृतक प्रतिवादीगण को स्व.

गणेशाराम की वारिस होना स्वीकार किया है। व 10 बीघा भूमि का कब्जा हनुमान ने प्रतिवादिया को देना भी स्वीकार किया है। प्रतिवादी संख्या 1व3 द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम का अपीलार्थी हनुमान ने कोई जबाब भी नहीं दिया है। राजीनामे से बाहर जाकर अपीलार्थी कोई कथन नहीं कर सकता है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहये।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि इन्तकाल प्रदर्श डी–1, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत प्रदर्श डी–8,राजीनामा प्रदर्श डी–3 के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि स्व. गणेशाराम व किशनी देवी की पुत्री नानूदेवी थी व नानू देवी की शादी बीझाराम से हुई थी। नानू देवी व बीझाराम की दो पुत्रियां चुनकी व शेरा थी । ग्राम पंचायत द्वारा किये गये आवासीय भूखण्ड के इन्तकाल से भी चुनकी व शेरा गणेशाराम की वारिस होना साबित होता है। वादी हनुमान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा प्रदर्श डी–3 में भी प्रतिवादिया चुनकी व शेरा को गणेशाराम की दोहिती होना स्वीकार किया है। उक्त राजीनामा पक्षकारों द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है व राजीनामे को पक्षकारों के अभिभाषकों की पहचान के बाद विधिवत जांच करके तस्दीक किया गया है। वादीगण ने अपने जबाब काउण्टर क्लेम में केवल मात्र यह कथन किया है कि चुनकी व शेरा स्व. गणेशाराम की वारिस नहीं है। परन्तु इस तथ्य को साबित नहीं किया है कि वे दोनों किसकी वारिस हैं। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि नानू देवी स्व. गणेशाराम की पुत्री थी व चुनकी

व शेरा नानू देवी की पुत्री होने के कारण गणेशाराम की प्रथम श्रेणी की वारिस हैं। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का भली भांति विवेचन कर तनकीवार समवर्ती निष्कर्ष निकाले हैं जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर बिना किसी ठोस आधार के हस्तक्षेप करना हम न्यायोचित नहीं समझते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ए आई आर 1999 एस सी पेज 2213 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि–

Second appeal- Relief cannot be granted merely on equitable grounds-Concurrent finding of facts however erroneous-Cannot be interfered with.

RRT 2001 page 883- Rajasthan Tenancy Act1955- Section 224 read with Section100,Code of Civil Procedure 1908-Both the lower Courts has concurrently on facts held that the plaintiff is not tenant and he has not required title by sale deed- Therefore in this second appeal unless it is found that the findings recorded are illegal or perverse in nature, till then this court cannot disturb the concurrent findings recorded by the Court below as held in AIR1959S.C.page 57-Hence this second appeal was dismissed.

8. उपरोक्त विवेचन,विश्लेषण एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सतीश चन्द्र गोदारा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य